राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

आबकारी अपील संख्या – 1970/2013/आबकारी/पाली

श्री रमेशचन्द पुत्र श्री चैनाराम, जाति–विश्नोई, गांधीधाम, गुजरात। .....अपीलार्थी.

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला आबकारी आयुक्त, उदयपुर । .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अजय पाल, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा, उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23.06.2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी द्वारा आयुक्त आबकारी राजस्थान, उदयपुर के प्रकरण क्रमांक प0 29(बी)पीएस/वाहन/2011/536 में राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 54(क) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 21.03.2012 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 9(क) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 08.01.2011 को पुलिस थाना–कोतवाली, जिला–पाली में वाहन संख्या जी.जे.–12–एक्स–0640 को वाहन में अवैध शराब परिवहनीत करने के कारण अधिनियम की धारा 45 के तहत् जप्त कर, अधिनियम की धारा 19/54 के अन्तर्गत वाहन को अभिग्रहित किया गया। वाहन को अधिग्रहणमुक्त कराने के लिये अपीलार्थी ने जरिये अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में सुनवायी हेतु अधिनियम की धारा 69(4)(1) के तहत् नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे अस्वीकार कर, आयुक्त द्वारा जप्तशुदा वाहन संख्या जी.जे.–12–एक्स–0640 को अधिनियम की धारा 69(4) के तहत् अधिहरण होना अवधारित कर, अधिनियम की धारा 69(7) के तहत् निस्तारण संबंधी आदेश दिनांक 21.03.2012 पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष एस.बी. सिविल रिट पिटिशन कमांक 4207/2012 प्रस्तुत की गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत याचिका पर निर्णय दिनांक 22.03.2013 के जरिये अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 9ए के तहत् अपील को संबंधित आबकारी आयुक्त/राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के समक्ष आदेश प्राप्ति के एक माह में प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश दिये गये । माननीय न्यायालय द्वारा दिये

लगातार.....2

गये निर्देशों के क्रम में अपीलार्थी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष मय मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना–पत्र एवं शपथपत्र सहित प्रस्तुत करने पर प्रकरण की समय–समय पर सुनवायी की जाकर, निर्णय पारित किया जा रहा है ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आबकारी आयुक्त द्वारा मामले के तथ्यों, दस्तावेजों एवं परिस्थितियों का सही प्रकार से अवलोकन नहीं करते हुए संक्षिप्त आदेश पारित किया है, जो कि प्राकृतिक न्याय, विधि के सिद्धान्तों एवं अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने आबकारी अधिनियम की धारा 69(4) को उद्धरित करते हुए कथन किया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988, माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालयों आदि के पूर्व न्यायिक दृष्टान्तों से यह सुस्थापित हो चुका है कि अपीलार्थी ही वाहन को अधिहरण से मुक्त कराने हेतु अधिकारी है। फिर भी आयुक्त ने अपीलार्थी को वाहन सुपुर्द करने से अपीलाधीन आदेश में इन्कार किया है। अपने तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला दिया है :–

(1) एस.सी.सी. 2003 सुप्रीम कोर्ट वॉल्यूम–4 364

(2) एस.सी.सी. 2003 सुप्रीम कोर्ट वॉल्यूम–11 519

(3) ए.आई.आर. 2008 सुप्रीम कोर्ट 2026

(4) डी.एन.जे.(2009) वॉल्यूम 1 53 व 191

(5) आर.आर.डी. 1993 598

(6) आर.आर.डी. 1994 563

अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी को वाहन चालक द्वारा किये गये अपराधिक कृत्य के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अपीलार्थी आबकारी अधिनियम की धारा 69(4) के प्रावधानानुसार अधिहरित वाहन के बाजार मूल्य के बराबर नियमानुसार जुर्माना राशि जमा कराने के लिये तैयार है, इसलिए अपील स्वीकार की जाकर वाहन को अधिहरण मुक्त करने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गयी।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने आबकारी आयुक्त के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया अधिहरित वाहन में अवैध शराब परिवहनित करते हुए पाया गया था, जो कि आबकारी अधिनियम की धारा 54ए के तहत आपराधिक कृत्य है। अपीलार्थी का वाहन द्वारा अवैध शराब परिवहनित करना विवादास्पद नहीं है। अपीलार्थी द्वारा वाहन स्वयं के पक्ष में बिना जुर्माना राशि जमा कराये सुपुर्दगी देने हेतु आवेदन किया गया

लगातार.....3

था, जिसे आबकारी आयुक्त ने नियमानुसार खारिज करते हुए आबकारी अधिनियम की धारा 69(4) के अन्तर्गत अधिहरण किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 21.03.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथपत्र में अंकित तथ्यों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में निर्णय से पूर्व यह पीठ अधिनियम के कतिपय सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझती है।

अधिनियम की धारा–69 में मदिरा के अवैध परिवहन में काम में लिये जाने रहे वाहनों के अधिहरण के संबंध में विस्तृत प्रावधान अधिनियम की धारा 69 के तहत् किये गये हैं जिसकी उप–धारा (3) व 9 में यह प्रावधित है:–

धारा–69 (3):–When anything mentioned in sub-section(1) is found in circumstances which afford reason to believe that an offence under this Act has been committed in respect or by means thereof or when such an offence has been committed and the offender is not known or cannot be found, the Excise Commissioner may order confiscation of the same.

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मदिरा के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने की दृष्टि से अध्यादेश दिनांक 03.01.2000 द्वारा अधिनियम, 1950 में मदिरा के अवैध परिवहन में काम में लिये जाने रहे वाहनों के अधिहरण के संबंध में विस्तृत प्रावधान अधिनियम की धारा 69 के तहत् उप–धारा (4) से (9) जोड़ कर किये गये हैं जिसमें धारा 69(4) में निम्न प्रकार प्रावधारित है कि:–

अधिनियम की धारा 69(4):– जब उप–धारा (1) के खण्ड (ड) में वर्णित प्रवहण का कोई साधन, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कारित करने के संबंध में अभिग्रहण किया जाता है तो अभिग्रहण करने वाने व्यक्ति द्वारा ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट, बिना युक्तियुक्त विलम्ब के, आबकारी आयुक्त अथवा ऐसा अधिकारी,, जो जिला

लगातार.....4

आबकारी अधिकारी से निम्न श्रेणी का नहीं है, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया जाये, को देगा और ऐसे अपराध को कारित करने के बारे में अभियोजन दायर किया जाता है अथवा नहीं, आबकारी आयुक्त अथवा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिसके अधिकारिता वाले क्षेत्र में उपरोक्त वर्णित प्रवहरण का साधन अभिग्रहीत किया गया था, अगर इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि प्रवहण के साधन का उपयोग इस अधिनियम के अधीन अपराध को कारित करने के लिये किया गया था तो, वह प्रवहण के उपोक्त वर्णित साधन को अधिहरण करने का आदेश दे सकता है ।

अब इस पीठ के समक्ष जो निर्णयार्थ बिन्दु शेष है वह यह कि क्या कर बोर्ड को अधिहरण किये गये वाहन की सुपुर्दगी, निस्तारण एवम् निर्मुक्ति (release) के संबंध में अधिकारित प्राप्त है कि नहीं ? इस संबंध में अधिनियम की धारा 69(6) का अध्ययन किया जाना आवश्यक है, जिसका मूल पाठ इस प्रकार है:—

धारा–69 (6): **Whenever any means of conveyance as referred to in clause (e) of sub-section (1) is seized in connection with commission of an offence under this Act, the Excise Commissioner or any officer authorized in this behalf by the State Government shall have, and, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force any court, tribunal or other authority shall not have, jurisdiction to make order with regard to the possession, delivery, disposal, release of such means of conveyance.**

उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि जब कभी भी अधिनियम के अधीन कारित अपराध से संबंधित प्रवहण का कोई साधन अभिग्रहण किया जाता है, तब प्रवहरण के ऐसे साधन के कब्जे, सुपुर्दगी, निस्तारण और निर्मुक्ति (release) के बारे में आबकारी आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को आदेश देने की अधिकारिता होगी, और तत्सयम प्रवृत किसी भी विधि में उपबंधित किसी बात के होते हुये भी, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को उपरोक्तनुसार अधिकारिता नहीं होगी। उक्त प्रावधानों के अध्ययन के पश्चात् यह पीठ यह निर्णित करती है कि हस्तगत प्रकरण में अधिनियम के अधीन कारित अपराध में साधन के बारे में आबकारी आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को आदेश

लगातार.....5

देने की अधिकारिता है एवम् कर बोर्ड को उपरोक्तनुसार अधिकारिता नहीं है। इसी प्रकार का सिद्धांत अधोहस्ताक्षरियों की पीठ द्वारा आबकारी अपील संख्या 1854/2013/जोधपुर में प्रतिपादित किया गया है। फलस्वरूप, उपर्युक्त वर्णित अधिनियम के प्रावधानानुसार हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु पर कर बोर्ड को अधिकारित के अभाव में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी उक्त आदेश के विरूद्ध उच्चस्तरीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है।

परिणामतः, अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया ।

23-6-14

(अमर सिंह)
सदस्य

23.6.2014

(मदन लाल)
सदस्य